A054-20222023-001-54-2011-6-2019

संख्या-09/2023/4062 /58-1-2022-2/11(13)14

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-परियोजना कार्यालय के सहगोदामों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष 171 बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-599/बा0वि0परि0/निर्माण एवं संरचना/14/2022-23, दिनांक 28 नवम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जनपदों में बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-परियोजना कार्यालय के सहगोदामों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" में प्रावधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष प्रति कार्यालय सहगोदाम रू0 29.16 लाख की दर से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम के निर्माण हेतु धनराशि रू0 4986.36 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 1246.59 लाख (रूपये बारह करोड़ छियालिस लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2022, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04 नवम्बर, 2022, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08 नवम्बर, 2022 व शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त, पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त तथा चौथी किश्त, पहली एवं दूसरी किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं तीसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो-दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी। बकाया 5 प्रतिशत की राशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही परियोजना कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त की जायेगी।

3. प्रश्नगत 171 बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदामों का समयबद्ध गुणवत्तापरक निर्माण कराए जाने के लिए सतत अनुश्रवण निदेशक, आईसीडीएस द्वारा किया जायेगा।

4. प्रश्नगत कार्य हेतु व्यय वित्त समिति बैठक दिनांक 17.06.2022 द्वारा आंकलित लागत धनराशि रू0 29.16 लाख के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय/उपयोग के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा योजना विषयक निर्गत गाइड लाईन/दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश की होगी।

8. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

9. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

10. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

12. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

13. परियोजना की लागत में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

15. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

16. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, आईसीडीएस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, आईसीडीएस का होगा।

17. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

18. योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

19. स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

20. उक्त स्वीकृत धनराशि बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम के निर्माण पर ही व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

21. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

22. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

23. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

24. धनराशि के आहरण के पूर्व प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीयरेन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशलाय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

25. भवन का निर्माण निर्धारित आगणन एवं इसके साथ प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा। अनुमोदित आगणन एवं मानचित्र में शासन की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

26. उक्त भवनों का निर्माण कार्य आगणन में दी गयी दरों (जो कि लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2020 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित है) पर ही करना होगा। इस पर कोई बढ़ोत्तरी देय नहीं होगी।

27. भवन का निर्माण तथा उसकी गुणवत्ता की जांच लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल्ड के आधार पर करायी जायेगी। शासन/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विशेषज्ञ/एजेन्सी से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जॉच करा सकते हैं।

28. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ किये जायें।

29. उक्त निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1246.59 लाख (रुपये बारह करोड़ छियालिस लाख उनसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 4235021020300 परियोजना कार्यालय के सहगोदामों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-361-X-2022-23, दिनांक- 02.01.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-09/2023/4062(1)/58-1-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र., प्रयागराज।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
6. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7. प्रबन्धत निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम हेतु धनराशि आवंटन की सूची

क. ब्लॉक परिसर में उपलब्ध भूमि के प्रस्तावः–

क्रमांक	जनपद का नाम	बाल विकास परियोजना कार्यालय का नाम	भूमि की उपलब्धता (ब्लाक परिसर में/अन्य)
1	2	3	4
1	फतेहपुर	हथगाम	ब्लाक परिसर में
2	फतेहपुर	अमौली	ब्लाक परिसर में
3	फतेहपुर	खजुहा	ब्लाक परिसर में
4	फतेहपुर	विजयीपूर	ब्लाक परिसर में
5	फतेहपुर	देवमई	ब्लाक परिसर में
6	जौनपुर	सिकरारा	ब्लाक परिसर में
7	जौनपुर	सुईथाकलॉ	ब्लाक परिसर में
8	जौनपुर	बक्शा	ब्लाक परिसर में
9	जौनपुर	मुफ्तीगंज	ब्लाक परिसर में
10	जौनपुर	मछलीशहर	ब्लाक परिसर में
11	जौनपुर	रामपुर	ब्लाक परिसर में
12	जौनपुर	मुँगराबादशाहपुर	ब्लाक परिसर में
13	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	ब्लाक परिसर में
14	मुरादाबाद	मूण्ढापांडे	ब्लाक परिसर में
15	मुरादाबाद	बिलारी	ब्लाक परिसर में
16	मुरादाबाद	भगतपुरटांडा	ब्लाक परिसर में
17	इटावा	जसवंतनगर	ब्लाक परिसर में
18	इटावा	भरथना	ब्लाक परिसर में
19	इटावा	बसरेहर	ब्लाक परिसर में
20	इटावा	महेवा	ब्लाक परिसर में
21	इटावा	सैफई	ब्लाक परिसर में
22	इटावा	बढपुरा	ब्लाक परिसर में
23	सुलतानपुर	जयसिंहपुर	ब्लाक परिसर में
24	वाराणसी	काशीविद्यापीठ	ब्लाक परिसर में
25	सम्भल	असमोली	ब्लाक परिसर में
26	सम्भल	रजपुरा	ब्लाक परिसर में
27	अलीगढ़	धनीपुर	ब्लाक परिसर में

28	अलीगढ़	गौण्डा	ब्लाक परिसर में
29	अलीगढ़	बिजौली	ब्लाक परिसर में
30	अलीगढ़	गंगीरी	ब्लाक परिसर में
31	अलीगढ़	टपपल	ब्लाक परिसर में
32	लखीमपुरखीरी	नकहा	ब्लाक परिसर में
33	लखीमपुरखीरी	फूलबेहड़	ब्लाक परिसर में
34	लखीमपुरखीरी	कुम्भी गोला	ब्लाक परिसर में
35	लखीमपुरखीरी	ईसानगर	ब्लाक परिसर में
36	लखीमपुरखीरी	बिजुआ	ब्लाक परिसर में
37	लखीमपुरखीरी	रमियाबेहड़	ब्लाक परिसर में
38	लखीमपुरखीरी	पसगवॉ	ब्लाक परिसर में
39	लखीमपुरखीरी	निघासन	ब्लाक परिसर में
40	लखीमपुरखीरी	मोहम्मदी	ब्लाक परिसर में
41	लखीमपुरखीरी	बेहजम	ब्लाक परिसर में
42	लखीमपुरखीरी	मितौली	ब्लाक परिसर में
43	गोण्ड़ा	मुजेहना	ब्लाक परिसर में
44	गोण्ड़ा	कटराबाजार	ब्लाक परिसर में
45	आगरा	किरावली	ब्लाक परिसर में
46	आगरा	खेरागढ़	ब्लाक परिसर में
47	आगरा	खन्दौली	ब्लाक परिसर में
48	आगरा	बिचपुरी	ब्लाक परिसर में
49	आगरा	फतेहपुर सीकरी	ब्लाक परिसर में
50	आगरा	पिनाहट	ब्लाक परिसर में
51	आगरा	फतेहाबाद	ब्लाक परिसर में
52	बिजनौर	नूरपुर	ब्लाक परिसर में
53	बिजनौर	हल्दौर	ब्लाक परिसर में
54	बिजनौर	खारी झालू	ब्लाक परिसर में
55	बिजनौर	नहटौर	ब्लाक परिसर में
56	बिजनौर	जलीलपुर	ब्लाक परिसर में
57	मुजफ्फरनगर	जानसठ	ब्लाक परिसर में
58	मुजफ्फरनगर	पुरकाजी	ब्लाक परिसर में
59	मुजफ्फरनगर	खतौली	ब्लाक परिसर में
60	मुजफ्फरनगर	सदर	ब्लाक परिसर में

61	मुजफ्फरनगर	मोरना	ब्लाक परिसर में
62	मुजफ्फरनगर	बुढाना	ब्लाक परिसर में
63	मुजफ्फरनगर	चरथावल	ब्लाक परिसर में
64	मुजफ्फरनगर	शाहपुर	ब्लाक परिसर में
65	बस्ती	विक्रमजोत	ब्लाक परिसर में
66	बस्ती	हरैया	ब्लाक परिसर में
67	बस्ती	गौर	ब्लाक परिसर में
68	बस्ती	दुबौलिया	ब्लाक परिसर में
69	बस्ती	कप्तानगंज	ब्लाक परिसर में
70	देवरिया	पथरदेवा	ब्लाक परिसर में
71	देवरिया	भाटपाररानी	ब्लाक परिसर में
72	देवरिया	गौरी बाजार	ब्लाक परिसर में
73	कानपुर नगर	पतारा	ब्लाक परिसर में
74	कानपुर नगर	शिवराजपुर	ब्लाक परिसर में
75	कानपुर नगर	ककवन	ब्लाक परिसर में
76	कानपुर नगर	बिल्हौर	ब्लाक परिसर में
77	कानपुर देहात	रसूलाबाद	ब्लाक परिसर में
78	कानपुर देहात	झींझक	ब्लाक परिसर में
79	शामली	कैराना	ब्लाक परिसर में
80	शामली	कांधला	ब्लाक परिसर में
81	शामली	ऊन	ब्लाक परिसर में
82	अयोध्या	बीकापुर	ब्लाक परिसर में
83	अयोध्या	तारून	ब्लाक परिसर में
84	बाराबंकी	फतेहपुर	ब्लाक परिसर में
85	श्रावस्ती	हरिहरपुररानी	ब्लाक परिसर में
86	उन्नाव	बिछिया	ब्लाक परिसर में
87	उन्नाव	हिलौली	ब्लाक परिसर में
88	रामपुर	स्वार ग्रामीण	ब्लाक परिसर में
89	बलिया	चिलकहर	ब्लाक परिसर में
90	बलिया	सोहॉव	ब्लाक परिसर में
91	रायबरेली	दीनशाह गौरा	ब्लाक परिसर में
92	रायबरेली	खीरो	ब्लाक परिसर में
93	रायबरेली	डीह	ब्लाक परिसर में

94	रायबरेली	सतांव	ब्लाक परिसर में
95	रायबरेली	सरेनी	ब्लाक परिसर में
96	रायबरेली	सलोन	ब्लाक परिसर में
97	रायबरेली	डलमऊ	ब्लाक परिसर में
98	रायबरेली	लालगंज	ब्लाक परिसर में
99	रायबरेली	अमांवा	ब्लाक परिसर में
100	रायबरेली	बछरॉवा	ब्लाक परिसर में
101	रायबरेली	महराजगंज	ब्लाक परिसर में
102	रायबरेली	ऊँचाहार	ब्लाक परिसर में
103	रायबरेली	राही	ब्लाक परिसर में
104	सीतापुर	महोली	ब्लाक परिसर में
105	सीतापुर	कसमण्डा	ब्लाक परिसर में
106	सीतापुर	लहरपुर	ब्लाक परिसर में
107	सीतापुर	पिसावां	ब्लाक परिसर में
108	सीतापुर	रेउसा	ब्लाक परिसर में
109	सीतापुर	परसेण्डी	ब्लाक परिसर में
110	सीतापुर	बेहटा	ब्लाक परिसर में
111	ललितपुर	तालबेहट	ब्लाक परिसर में
112	प्रतापगढ़	सॉगीपुर	ब्लाक परिसर में
113	प्रतापगढ़	शिवगढ़	ब्लाक परिसर में
114	पीलीभीत	अमरिया	ब्लाक परिसर में
115	पीलीभीत	ललौरीखेडा	ब्लाक परिसर में
116	एटा	अलीगंज	ब्लाक परिसर में
117	एटा	सकीट	ब्लाक परिसर में
118	एटा	अवागढ	ब्लाक परिसर में
119	चन्दौली	धानापुर	ब्लाक परिसर में
120	चन्दौली	नियामताबाद	ब्लाक परिसर में
121	चन्दौली	चहनियॉ	ब्लाक परिसर में
122	चित्रकूट	मानिकपुर	ब्लाक परिसर में
123	चित्रकूट	पहाड़ी	ब्लाक परिसर में
124	मैनपुरी	बरनाहल	ब्लाक परिसर में
125	मैनपुरी	जागीर	ब्लाक परिसर में
126	मैनपुरी	बेवर	ब्लाक परिसर में

127	बहराइच	बलहा	ब्लाक परिसर में
128	बहराइच	नवाबगंज	ब्लाक परिसर में
129	बुलन्दशहर	जहागीराबाद	ब्लाक परिसर में
130	बुलन्दशहर	अगौता	ब्लाक परिसर में
131	बुलन्दशहर	खुर्जा	ब्लाक परिसर में
132	बुलन्दशहर	ऊँचागांव	ब्लाक परिसर में
133	बुलन्दशहर	डिबाई	ब्लाक परिसर में
134	बुलन्दशहर	दानपुर	ब्लाक परिसर में
135	गाजीपुर	देवकाली	ब्लाक परिसर में
136	गाजीपुर	सादात	ब्लाक परिसर में
137	शाहजहॉपुर	खुदागंज कटरा	ब्लाक परिसर में
138	शाहजहॉपुर	पुवायॉ	ब्लाक परिसर में
139	शाहजहॉपुर	जैतीपुर	ब्लाक परिसर में
140	शाहजहॉपुर	भावलखेड़ा	ब्लाक परिसर में
141	शाहजहॉपुर	तिलहर	ब्लाक परिसर में
142	शाहजहॉपुर	जलालाबाद	ब्लाक परिसर में
143	भदोही	अमोली	ब्लाक परिसर में
144	मीरजापुर	सीखड	ब्लाक परिसर में
145	मीरजापुर	लालगंज	ब्लाक परिसर में
146	मीरजापुर	जमालपुर	ब्लाक परिसर में
147	मीरजापुर	मझवां	ब्लाक परिसर में

ख. ब्लाक परिसर के अतिरिक्त आकांक्षात्मक जनपदों से प्राप्त अवशेष प्रस्ताव।

क्रमांक	जनपद का नाम	बाल विकास परियोजना कार्यालय का नाम
1	2	3
1	फतेहपुर	धाता
2	सोनभद्र	राबर्ट्सगंज
3	सोनभद्र	शहर
4	चन्दौली	शाहबगंज
5	चित्रकूट	शहर
6	चित्रकूट	कर्वी
7	चित्रकूट	मऊ
8	चित्रकूट	रामनगर

9	बहराइच	चित्तौरा
10	बलरामपुर	उतरौला
11	बलरामपुर	रेहरा
12	बलरामपुर	हरैया

ग. ब्लाक परिसर के अतिरिक्त आकांक्षात्मक ब्लाकों से प्राप्त अवशेष प्रस्ताव।

क्रमांक	जनपद का नाम	बाल विकास परियोजना कार्यालय का नाम
1	2	3
1	बाराबंकी	निन्दुरा
2	सीतापुर	बिसवां
3	एटा	जैथरा
4	प्रयागराज	कोरावं
5	अम्बेडकरनगर	भीटी

घ. सम्मिलित किये जाने हेतु अवशेष 7 प्रस्तावों हेतु सभी 49 जनपदों को आच्छादित किये जाने हेतु जनपद से प्राप्त वरीयता क्रम के आधार पर निम्नलिखित बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम को सम्मलित किया गया है।

क्रमांक	जनपद का नाम	बाल विकास परियोजना कार्यालय का नाम
1	लखनऊ	काकोरी
2	मऊ	कोपागंज
3	फिरोजाबाद	टूण्डला
4	महोबा	महोबा शहर
5	हापुड़	गढमुक्तेश्वर
6	गोरखपुर	भटहट
7	आगरा	बरौली अहीर